

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-270/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.207-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(264)-2023

लखनऊ: दिनांक: 01 मार्च, 2023


अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-844/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(11)-2017 दिनांक-30-06-2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

पूर्वोक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, खंड (ज) में, शब्द "और राज्यों के विधान मंडल" के स्थान पर शब्द "राज्यों के विधान मंडल, न्यायालयों और अधिकरणों" रख दिये जायेंगे।

2. यह अधिसूचना तारीख 01 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,


(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव